अध्याय–V

आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों और इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के कार्यकलाप

प्रस्तावना

5.1 यह अध्याय लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा, आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत व्यय की प्रवृत्ति, लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया, पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही, आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने की स्थिति एवं उनके लेखाओं के बकाया की स्थिति दर्शाता है।

विभागों और प्राधिकरणों की रूपरेखा

5.2 उत्तर प्रदेश सरकार के 18 विभाग और 45 प्राधिकरण आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा इन विभागों का नेतृत्व किया जाता है, जिनकी सहायता आयुक्तों/निदेशकों एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान एवं वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति **चार्ट 5.1** में दर्शायी गयी है।

चार्ट 5.1: राज्य सरकार का 2014–15 से 2018–19 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक व्यय

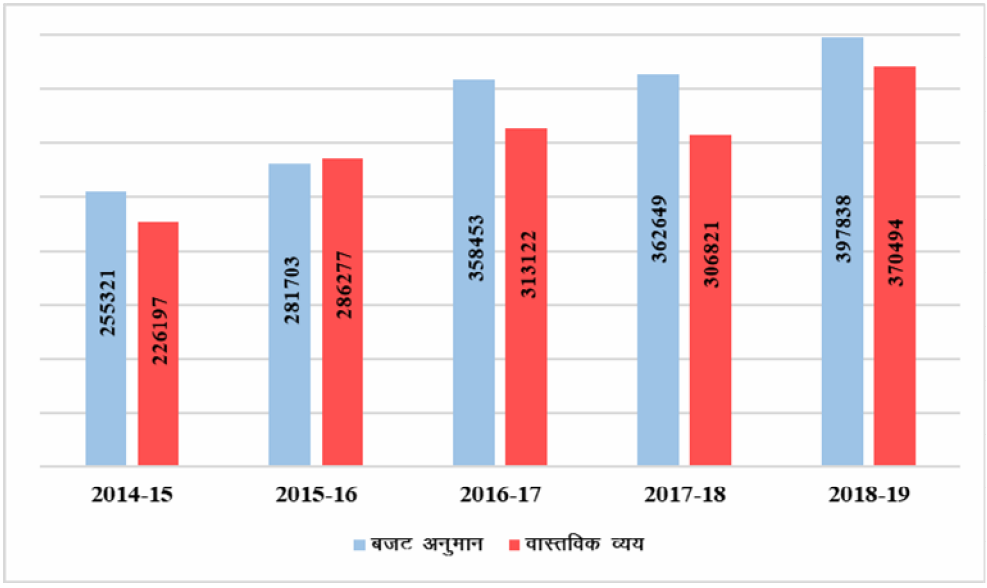

स्रोत : सम्बंधित वर्षों के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं राज्य बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन

वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत पाँच प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति **तालिका 5.1** में दी गई है।

तालिका 5.1: आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विभाग	2016-17	2017-18	2018-19
ऊर्जा	33,976.69	17,265.50[1]	31,270.17[2]
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	6,296.11	1,740.56[3]	4,114.53[4]
आवास एवं शहरी नियोजन	2,888.06	723.39[5]	983.69[6]
राजस्व (कलेक्ट्रेट के अतिरिक्त)	2,721.56	2,987.80	3,051.80
वन	1,231.72	808.21[7]	811.33

स्रोत : सम्बंधित वर्षों के विनियोजन लेखे।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

5.3 वर्ष 2018–19 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश[8] ने आर्थिक क्षेत्र से सम्बंधित 18 विभागों के अन्तर्गत कुल 486 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 63 की अनुपालन लेखापरीक्षा की।

लेखापरीक्षा पर शासन की प्रतिक्रिया

5.4 लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उनके विचार प्राप्त करने के लिए चार चरणों में अवसर प्रदान करती है, जैसे

- **लेखापरीक्षा ज्ञापनः** लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को जारी किया जाते हैं, जिनका उत्तर उन्हें लेखापरीक्षा के दौरान ही देना होता है।
- **निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर):** लेखापरीक्षा सम्पन्न होने के एक माह के अन्दर जारी किया जाता है, जिस पर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को चार सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देना होता है।
- **ड्राफ्ट प्रस्तरः** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनको शामिल करने से पूर्व विचार करने हेतु विभागों के प्रमुखों, जिनके अन्तर्गत लेखापरीक्षित इकाइयां कार्य करती हैं, को छः सप्ताह की अवधि के अन्दर विभागीय मत प्रस्तुत करने हेतु जारी किये जाते हैं।
- **समापन गोष्ठीः** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने से पूर्व लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर विभाग/शासन के विचारों को प्राप्त करने हेतु विभाग के प्रमुख एवं राज्य सरकार को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों/विभाग प्रमुखों/राज्य सरकार को खंडन और स्पष्टीकरण देने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करने को प्रयत्नशील रहती हैं और केवल जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं अथवा स्वीकार करने योग्य नहीं

---

[1] 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः विद्युत सब्सिडी, पूँजीगत व्यय तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण में कमी के कारण थी।

[2] 2018–19 के दौरान व्यय में वृद्धि मुख्यतः ब्याज भुगतान पर व्यय में वृद्धि, विद्युत (सर्वाजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता तथा अन्य व्यय), विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत व्यय एवं विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋणों के कारण थी।

[3] 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः सड़कों एवं सेतुओं पर पूँजीगत व्यय में कमी के कारण थी।

[4] 2018–19 के दौरान व्यय में वृद्धि मुख्यतः दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर व्यय, अन्य व्ययों और सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत व्ययों के वृद्धि के कारण थी।

[5] 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः शहरी विकास, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं; शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, आवास एवं शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय में कमी तथा शहरी विकास के लिए ऋणों में कमी के कारण थी।

[6] 2018–19 के दौरान व्यय में वृद्धि मुख्यतः शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुई।

[7] 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः वानिकी एवं वन्यजीवों पर पूँजीगत व्यय में कमी के कारण थी।

[8] वर्तमान में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–।।), उत्तर प्रदेश।

होते हैं, तभी लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदन या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा भी प्रकरण हो, में शामिल करने की प्रक्रिया की जाती है। हालाँकि, ज्यादातर प्रकरणों में लेखापरीक्षित इकाइयां/विभाग समय पर एवं संतोषजनक उत्तर प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि नीचे इंगित किया गया है।

5.4.1 निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर)

18 विभागों से सम्बंधित 183 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को मार्च 2019 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा में यह प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2019 तक स्वीकार्य योग्य उत्तर की प्रत्याशा में 1,732 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 6,356 प्रस्तर निराकरण हेतु लंबित थे। इनमें से, एक निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल 12 प्रस्तरों के प्रारम्भिक उत्तर डीडीओ द्वारा प्रस्तुत किये गये थे जबकि 1,731 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल 6,344 प्रस्तरों के सन्दर्भ में डीडीओ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गयी थी।

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति **तालिका 5.2** में दर्शायी गयी है।

तालिका 5.2: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों की 31 मार्च 2020 की स्थिति

क्रं0सं0	अवधि	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (प्रतिशत)	लंबित प्रस्तरों की संख्या (प्रतिशत)
1	2018-19	40 (02)	276 (04)
2	1 वर्ष से 3 वर्षों तक	456 (26)	2,423 (38)
3	3 वर्षों से 5 वर्षों तक	260 (15)	1,023 (16)
4	5 वर्षों से अधिक	976 (57)	2,634 (42)
योग		**1,732**	**6,356**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

वर्ष 2018–19 के दौरान, विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा की 29 बैठकें (लेखापरीक्षा समिति बैठकें) आयोजित की गयीं जिनमें 32 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया।

5.4.2 निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षाएं

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018–19 के लिए नौ ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सम्बंधित प्रशासनिक सचिवों को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेषित किया गया था। हालाँकि, मात्र एक लेखापरीक्षा प्रस्तर से सम्बंधित उत्तर/प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। आठ लेखापरीक्षा प्रस्तरों का प्रत्युत्तर बार–बार स्मरण कराने के बाद भी अभी तक (सितंबर 2020) प्राप्त नहीं हुआ है।

5.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही

5.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही

5.5.1 लंबित उत्तर

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि कार्यपालिका से उपयुक्त एवं समय से उत्तर प्राप्त हों। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, राज्य विधानमण्डल में प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के दो से तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु, सभी प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देश निर्गत किये थे (जून 1987)। अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति **तालिका 5.3** में दी गयी है।

तालिका 5.3: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 सितंबर 2020 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र/गैर पीएसयू) का वर्ष	राज्य विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए)/विषयगत लेखापरीक्षा (टीए) तथा अनुपालन लेखापरीक्षा (सीए) प्रस्तर		पीए, टीए एवं सीए प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं[9]	
		पीए/टीए	सीए प्रस्तर	पीए/टीए	सीए प्रस्तर
2012-13	1 जुलाई 2014	2	6	2	0
2013-14	17 अगस्त 2015	2	5	1	2
2014-15	8 मार्च 2016	4	4	4	4
2015-16	18 मई 2017	2	4	2	4
2016-17	19 जुलाई 2019	-	4	-	1
2017-18	21-22 अगस्त 2020	-	10	-	10
योग		**10**	**33**	**9**	**21**

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

5.5.2 लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार–विमर्श

वर्ष 2012–13 से 2017–18 के दौरान आर्थिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 10 निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विषयगत लेखापरीक्षा तथा 33 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर प्रस्तुत किये गये। इनमें से, लोक लेखा समिति (पीएसी) ने नौ प्रस्तरों को लिखित उत्तर के लिए चयनित किया। हालाँकि, इन प्रस्तरों के सम्बंध में कोई कृत–कार्यवाही टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट) प्राप्त नहीं हुई है। 30 सितंबर 2020 को पीएसी द्वारा विचार–विमर्श की स्थिति **तालिका 5.4** में दी गयी है।

तालिका 5.4: पीएसी द्वारा चर्चा किये गये लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2012–13 से 2017–18 के लिए आर्थिक क्षेत्र/गैर–पीएसयू लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	43 (10 पीए/टीए + 33 सीए)
पीएसी द्वारा विचार–विमर्श हेतु लिये गये (मौखिक चर्चा)	शून्य
पीएसी द्वारा लिखित उत्तर प्रस्तुत करने हेतु लिये गये	09 (02 पीए/टीए + 07 सीए)
पीएसी द्वारा की गयी अनुशंसा	शून्य
प्राप्त कृत–कार्यवाही टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट)	शून्य
विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	–

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

इकाइयों के लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति

5.6 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के लिए सौंपे गए राज्य सरकार के इकाइयों के शासी अधिनियमों/शासनादेशों/भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, इन इकाइयों के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के

[9] वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एवं निर्यात संवर्धन विभाग, ऊर्जा विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, अतिरिक्त स्रोतों से ऊर्जा विभाग, पर्यावरण विभाग, पर्यटन विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से सम्बंधित।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किये जाने हैं तथा राज्य विधानमण्डल में सरकार द्वारा रखे जाने हैं।

इकाइयों के बकाया लेखाओं की प्रस्तुति एवं उनका अन्तिमीकरण

5.6.1 31 मार्च 2019 तक उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत 45 इकाइयों के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी[10] गयी थी। 45 इकाइयों में से केवल एक इकाई उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने अपने 2018–19 तक के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया था। बची हुयी 44 इकाइयों के 147 लेखे मई 2020 तक बकाया थे। 44 इकाइयों में से, तीन इकाइयों के लेखे एक वर्ष से बकाया थे, 35 इकाइयों के लेखे दो वर्ष से बकाया थे, एक इकाई का लेखा चार वर्ष से बकाया था तथा पाँच इकाइयों के लेखे 14 वर्ष से बकाया थे जिसका विवरण **तालिका 5.5** में दिया गया है।

तालिका 5.5: आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न इकाइयों के लेखाओं का बकाया

क्र0 सं0	इकाइयों के नाम	वर्ष जिनके लेखे बकाया हैं	बकाया लेखाओं की संख्या
1	न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2018-19	14
2	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2018-19	14
3	सथारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2018-19	14
4	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2018-19	14
5	लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2018-19	14
6	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	2015-16 से 2018-19	04
7	उत्तर प्रदेश क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन योजना प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
8	उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
9	लखनऊ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
10	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
11	आगरा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
12	मेरठ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
13	प्रयागराज विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
14	हापुड़/पिलखुआ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
15	वाराणसी विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
16	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
17	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
18	मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
19	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
20	बरेली विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
21	रायबरेली विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
22	सहारनपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
23	अयोध्या विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
24	फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
25	कानपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
26	रामपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
27	उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
28	झाँसी विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
29	मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02

[10] सात औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा जीओयूपी के आदेश दिनांक 17 जनवरी 2018 के द्वारा 2005–06 से सौंपी गयी तथा 28 विकास प्राधिकरणों एवं पाँच विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा जीओयूपी के आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2017 द्वारा 2017–2018 से सौंपी गयी।

क्र0 सं0	इकाइयों के नाम	वर्ष जिनके लेखे बकाया हैं	बकाया लेखाओं की संख्या
30	बुलंदशहर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
31	खुर्जा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
32	उरई विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
33	बाँदा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
34	बागपत बड़ौत खेकड़ा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
35	आजमगढ़ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
36	बस्ती विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2018-19	02
37	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शक्तिनगर	2017-18 से 2018-19	02
38	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, चित्रकूट	2017-18 से 2018-19	02
39	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कपिलवस्तु	2017-18 से 2018-19	02
40	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विंध्याचल–मिर्जापुर	2017-18 से 2018-19	02
41	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर	2017-18 से 2018-19	02
42	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण[11]	2018-19	01
43	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण[12]	2018-19	01
44	उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण	2018-19	01
45	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी)	शून्य	शून्य

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

राज्य विधानमण्डल में इकाइयों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

5.6.2 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की वैधानिक इकाइयों के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 एवं क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार क्रमशः उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) तथा उत्तर प्रदेश क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के लिए राज्य विधानमण्डल के समक्ष एसएआर रखना अनिवार्य था।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत एसएआर को विधानमण्डल को प्रत्येक सदन में रखने के लिए अनिवार्य होने के बावजूद, यूपीईआरसी तथा कैम्पा के एसएआर राज्य विधानमण्डल में क्रमशः 15 वर्षों एवं तीन वर्षों से नहीं रखे जा रहे थे।

दोनों इकाइयों के लेखाओं की लेखापरीक्षा पर एसएआर, जो कि अभी राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाने हैं (सितंबर 2020), का विवरण **तालिका 5.6** में दर्शाया गया है।

[11] जीएनआईडीए द्वारा वर्ष 2005–06 से 2017–18 तक के लेखे प्रस्तुत किये गये।
[12] 27 जून 2018 को गठित।

तालिका 5.6: राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जाने हेतु बकाया पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

क्र0 सं0	इकाइयों के नाम	वर्ष जहाँ तक एसएआर विधानमण्डल में प्रस्तुत किये जा चुके हैं	विधानमण्डल में प्रस्तुत न किये गये एसएआर की स्थिति		एसएआर को प्रस्तुत न किये जाने के कारण
			एसएआर का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	
1	यूपीईआरसी	इसकी स्थापना (2003–04) से कोई एसएआर विधानमण्डल में प्रस्तुत नही किया गया।	2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18	19 अक्टूबर 2006 5 अक्टूबर 2007 5 अक्टूबर 2007 3 अक्टूबर 2008 17 अगस्त 2009 15 अगस्त 2010 26 मई 2011 08 जून 2012 24 सितम्बर 2014 20 फरवरी 2015 22 जून 2015 28 दिसम्बर 2015 18 मई 2017 08 मार्च 2019 15 मई 2020	कारण प्रस्तुत नहीं किये गये।
2	कैम्पा	शून्य	2010-11 2011-12 2012-13	2 मई 2019 1 अक्टूबर 2019 1 अक्टूबर 2019	कारण प्रस्तुत नहीं किये गये।

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ

5.7 लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों/इकाइयों में सात प्रकरणों में इंगित की गयी ₹ 20.61 करोड़ की वसूलियाँ स्वीकार की गयीं थीं। इसके विरूद्ध, 1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2020 तक पाँच प्रकरणों में ₹ 18.97 करोड़ की वसूलियाँ सम्पन्न की गयीं जिसका विवरण **तालिका 5.7** में दिया गया है।

तालिका 5.7: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित और विभागों/ इकाइयों द्वारा स्वीकार/सम्पन्न की गयी वसूलियाँ

(₹ करोड़ में)

विभाग	वसूलियों का विवरण	1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2020 तक लेखापरीक्षा में इंगित तथा विभाग द्वारा स्वीकार की गयी वसूलियाँ		1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2020 तक सम्पन्न की गयी वसूलियाँ	
		प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि	प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	कार्य की अतिरिक्त मदों के निष्पादन में अतिरिक्त व्यय	1	1.09	1	1.10
	छूट प्राप्त कार्यों में सेवा कर की वापसी के लिए दावा प्रस्तुत न करने के कारण हुई हानि	1	1.49	1	1.48
	छूट प्राप्त कार्यों पर सेवा कर की वापसी का दावा न करने के कारण परिहार्य हानि	1	2.15	1	2.15

विभाग	वसूलियों का विवरण	1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2020 तक लेखापरीक्षा में इंगित तथा विभाग द्वारा स्वीकार की गयी वसूलियाँ		1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2020 तक सम्पन्न की गयी वसूलियाँ	
		प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि	प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग	प्रीमियम तथा पट्टा किराया की वसूली न होने के कारण हानि	3	2.25	1	1.87
	पट्टा के नवीनीकरण पर शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) तथा प्रीमियम की वसूली न होना	1	13.63	1	12.37
योग		**7**	**20.61**	**5**	**18.97**

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।